

Mob No 7042 886681

ID 2119 RTI Cell/SWD, 5/23  
Date 2/8/17  
2/8/17  
Rs. 10/-

सेवा में,

श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय,  
साउथ वैस्ट जिला, सेक्टर-19  
द्वारका, नई दिल्ली -110075

विषय : आर टी आई एक्ट सन 2005 के तहत  
निम्नलिखित जानकारी देने हेतु ।

महोदय,

1. एक्स सुबेदार रघुनन्दन पुत्र स्व० श्री भरत सिंह  
निवासी आर जेड डी-1/84, गली नं० 5, महावीर  
इन्कलेव, नई दिल्ली ने दिनांक 12.11.2008 को  
एक शिकायत हरिओम शर्मा पुत्र श्री राम प्रकाश  
शर्मा निवासी मकान नं० आर जेड -25ए, गली नं०  
4, महावीर इन्कलेव, नई दिल्ली 110045 प्रॉपर्टी  
डीलर (लाईसेन्सी) ने दो खाली चैक जबरदस्ती  
छीन लिये थे । उसके बारे में आपने क्या  
कार्यवाही की, लिखित में जवाब देने का कष्ट  
करे ।

DA-3  
2/8/17

2. दिनांक 09.11.2009, 12.4.2010, में शिकायत की थी । उसके साथ हमने एक कानूनी नोटिस 6.4.2010 भी लगा रखा था । जो दिनांक 11.4.2010 को प्राप्त हुआ था । और उसका जबाव उसी समय हमने दे दिया था । इसपर आपने क्या कार्यवाही की उसका लिखित में जबाव दिया जाए ।

3. यह कि मैं उपरोक्त लिखित पते पर सन 1984 से रह रहा था । अब मैं आर जेड डी -80, भू-तल, गली नं0 4, महावीर इन्केलव, नई दिल्ली 110045 पर किराये पर रहता हूँ। आप अब मेरा पत्र व्यवहार इस पते पर करना ।

4. यह कि डी डी नं0 9 पी पी दिनांक 6.2.2016 को *police* शिकायत की थी, उसपर क्या कार्यवाही की गई है उसकी लिखित में जानकारी देने कष्ट करें ।

5. यह कि डी डी नं० 14 पी पी दिनांक ~~6.5.2017~~ को  
6/5/2017  
की थी, उसपर क्या कार्यवाही की गई है उसकी  
लिखित में जानकारी देने कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आर टी आई  
के तहत निम्नलिखित जबाव लिखित में जल्द से जल्द  
भेजने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

दिनांक : 25.7.2017

एक्स सुबेदार रघुनन्दन

6. श्रीमान् जी साहू शिक्षाधिका के ~~द्वारा~~  
जो लॉट सामग्री शामिल है उनके  
खिलाफ 156/3 के बुला सकते हैं  
कार्यवाही करवा सकते हैं/आप न  
अवलोकन करा कार्यवाही करें/? 25/7/17